निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 99 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, लेन्सडाउन, पौड़ी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, लेन्सडाउन, पौड़ी के माह अगस्त 2016 से फरवरी 2018 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री मनोज कुमार संह, पर्यवेक्षक एवं श्री जितेन्द्र तिमोली, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 05-03-2018 से 12-03-2018 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के आं शक पर्यवेक्षण में दिनांक 05/03/2018 से 06/03/2018 तक सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा सर्व श्री वभाष चंद्र मुखर्जी, श्री प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारी एवं श्री एन एस भण्डारी लेखा परीक्षक द्वारा 01-08-2016 से 09-08-2016 तक श्री जे॰ एम॰ एस॰ रावत, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अ धकारी के पूर्णका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह अगस्त 2015 से जुलाई 2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह अगस्त 2016 से फरवरी 2018 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः

<u>क्रयाकलाप:-</u>

राज्य योजना/जिला योजना, नाबार्ड द्वारा वत्त पो षत मार्गों का निर्माण/रखरखाव का कार्य। निक्षेप मद के अंतर्गत प्राप्त धनरा श से व भन्न निर्माण कार्य।

<u>भौगो लक अ धकार क्षेत्रः-</u>

लेन्सडाउन वधान सभा यमकेश्वर, चौबट्टाखाल आं शक

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

` *लाख में*

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15								

2015-16								
2016-17			587.76	514.36	990.20	990.38		
2017-18 (जनवरी तक)			709.77	651.23	728.84	508.24		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना, जिला योजना एवं नाबार्ड के द्वारा कया जाता है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

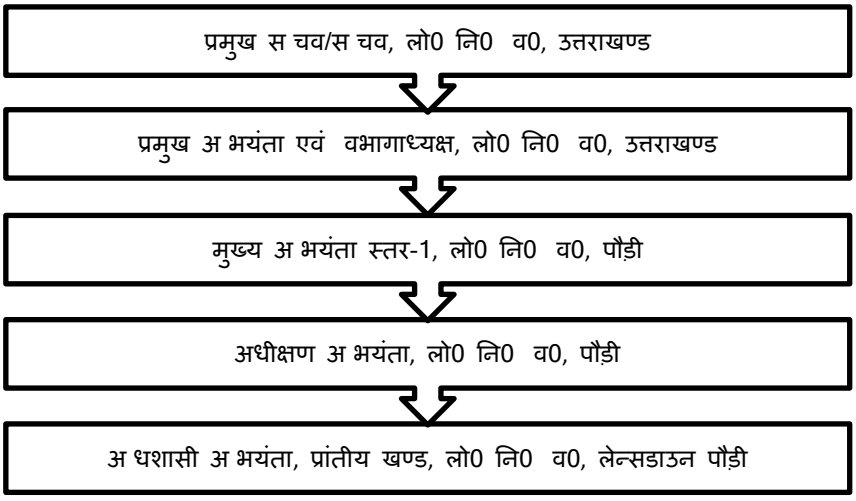

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अ धकार, कर्तव्य एवं शर्तों के अधीन धारा-13 के अंतर्गत कार्यालय अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खण्ड, लो0 नि0 व0, लेन्सडाउन, पौड़ी के माह 08/2016 से 02/2018 तक के अ भलेखों की लेखापरीक्षा को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खण्ड, लो0 नि0 व0, लेन्सडाउन, पौड़ी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। जनपद पौड़ी गढ़वाल के वधान सभा क्षेत्र लेन्सडाउन (धूमकोट) के अंतर्गत टकोलीखाल-बीरोखाल मोटर मार्ग का निर्माण का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन व्यय के आधार पर कया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी

एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक 09-10-2017 से 12-10-2017 तक का निरीक्षण कया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा र्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2017 तक की गई।

5. फार्म 51: माह जनवरी 2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ` 47,224.01

भाग द् वतीय ` 6,66,497.00

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह फरवरी 2018 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम ` 81,96,534.00

(ख) सामग्री क्रय ` शून्य

(ग) नगद परिशोधन ` शून्य

(घ) निक्षेप ` 3,14,13,205.00

(ङ) भण्डार ` 31,02,980.95

भाग दो (ब)

प्रस्तर:1- वत्तीय नियमों की अवहेलना कर पुनः स्वीकृति लये बिना अधूरे निर्माण कार्य पर व्यय रु॰ 258.75 लाख

- -380, Lapse of sanction-The approval or sanction to an estimate for any public work other than annual repairs will unless such work has been commenced cease to operate after a period of five years from the date on which it was accorded"

जनपद पौड़ी गढ़वाल में राज्य योजना के अंतर्गत वधान सभा क्षेत्र लैन्सडाउन (धूमकोट) के अंतर्गत टकोलीखाल-बीरोखाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 1537/III (2)/07-07(प्रा0आ0)/07 दिनाक 13.07.2007 के द्वारा 15.00 कमी हेतु लागत ` 258.75 लाख की प्राप्ति हुई थी। उक्त कार्य के लंबाई क0मी0 1 से क0मी0 8 तक के भाग की प्रा व धक स्वीकृति लागत रु0 258.75 लाख हेतु मुख्य अ भयंता(गढ़वाल-क्षेत्र), लोक निर्माण वभाग, पौड़ी को दिनाक 15.05.2015 को प्रे षत की गयी। उक्त कार्य की लंबाई क0मी0 1 से क0मी0 8 तक के भाग की प्रा व धक स्वीकृति मुख्य अ भयंता(गढ़वाल-क्षेत्र), लोक निर्माण वभाग, पौड़ी के पत्रांक 1160/12(207)याता0-पौड़ी/2015 दिनाक 28.05.2015 के द्वारा प्रदान की गई। उक्त कार्य के प्रथम चरण को 8 भागो में वभाजित कर पृथक-पृथक अनुबंध गठित कया गया।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, लैन्सडौन, पौड़ी के अ भलेखों की जांच में पाया गया क प्रश्नगत कार्य की रु0 258.75 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति 15 क0मी0 लंबाई मार्ग हेतु थी परंतु उक्त के सापेक्ष प्रा व धक स्वीकृति मात्र 8 क0मी0 हेतु प्रदान करते हुये उक्त धनरा श रु0 258.75 लाख की लागत का प्रा वधान कया गया। शासन द्वारा 15 क0मी0 लंबाई हेतु स्वीकृत धनरा श के सापेक्ष मात्र 8 क0मी0 लंबाई के मोटर मार्ग के निर्माण पर शासन से स्वीकृति लए बगैर पूर्ण स्वीकृत धनरा श खर्च कया गया। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया क शासन की वत्तीय स्वीकृति प्राप्त होने (07/2007) के 05 वर्ष बाद खंड द्वारा कार्य प्रारम्भ कराया गया (06/2017) जो क वत्तीय नियमों का उल्लंघन था क्यों क वत्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के प्रस्तर 380 में स्पष्ट उल्ले खत हैं क यदि कार्य स्वीकृति से 5 वर्ष के अंदर प्रारम्भ नहीं कया जाता हैं तो पुनः स्वीकृति आपे क्षत हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त की ओर इं गत करने पर खंडीय आख्या में बतलाया गया क कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अलग से कोई स्वीकृति शासन से प्राप्त नहीं हैं। अधूरे कार्य निष्पादन के संबंध में पूछे जाने पर बतलाया गया क ग्रामीणो द्वारा कार्य में बाधा, संरेखण ववाद एवं वन भू म की स्वीकृति न होने के कारण कार्य प्रारम्भ करने में देरी से दरो में वृद् ध हुयी जिस कारण मात्र 8 कमी में ही निर्माण कया गया। लेखापरीक्षा को खंड का उत्तर मान्य नहीं था क्यों क पुनः पुनरी क्षत आगणन (15 कमी) तैयार कया जाना चाहिए था एवं शासन की स्वीकृति लेकर कार्य प्रारम्भ कया जाना चाहिए था।

अतः अधूरे कार्य निष्पादन, कालातीत स्वीकृति पर कार्य कराने एवं ग्रामीणो को सड़क मार्ग की सु वधा से वं चत रखने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 2. रू0 196862.50 की रॉयल्टी की वसूली न किया जाना।

शासन के पत्रांक संख्या 62 दिनांक 18/1/2013 के अनुसार रू0 90.00 प्रति घन मी0 से रॉयल्टी की कटौती किये जाने का प्रावद्यान था। दिनांक 7 अगस्त 2015 को शासन के पत्रांक संख्या 1207 के अनुसार रू0 90.00 के स्थान पर रू0 200.00 से कटौती किये जाने का आदेश हुआ था।इस आदेशा के क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिनांक 10/12/2015 को स्थगन आदेशा जारी किया गया था। उस स्थगन आदेशा के सापेक्षा शासन के पत्रांक संख्या 107 दिनांक 22/1/2016 को आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया कि दिनांक 10/12/2015 से रॉयल्टी की कटौती शासन के पत्रांक संख्या 62 दिनांक 18/1/2013 की दरों के अनुसार की जायेगी। तत्पश्चात दिनांक 26/2/2016 को शासन के द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 211 में यह आदेशा जारी किया गया कि दिनांक 26/2/2016/ से रू0 194.50 से रॉयल्टी की कटौती की जायेगी। तथा पुनः दिनांक 19 मई 2016 को शासन के पत्रांक संख्या 842 के द्वारा पूर्व में जारी दरों को संशोधित करते हुऐ रू0 154.00 प्रति घन से कटौती के आदेशा जारी किये गये है। जोकि आतिथि तक प्रचलित है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग लैन्सडौन की माह 3/2017 में संविदाकारों को भुगतान किये गये व्यय वाउचरों में रॉयल्टी की कटौती रू0 90.00 से ही की गयी है, जबकि कार्य की माप माप पुस्तिका में बढी हुई दरों की अवधि में ली गयी थी। अर्थात जब बढी हुई दरे लागू हो चुकी थी। तो उस तिथि को अवर अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिकाओं में पूर्व दरों से गणना करके देयक बनाकर प्रस्तुत करने का क्या कारण था। यही नही अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा भी उन दरों को ही सत्यापित कर भुगतान संस्तुति एवं भुगतान की कार्यवाही की गयी थी। जबकि प्रत्येक स्तर पर देयक की जॉच उसकी मात्रा एवं दरों से की जाती है। फिर भी ऐसा किया जा रहा जिसके कारण शासन को रॉयल्टी से प्राप्त होने वाली धनराशि रू0 196862.50 से वंचित रहना पडा।

इस सम्बन्ध में विभाग से पूछने पर बताया गया कि तथ्यों एवं ऑकडों की पुष्टि की जाती हैं, यथाशीघ्र सम्बन्धित वाउचरों में उल्लखित रॉयल्टी की दरें एवं मात्रा का मिलान कर अवशेष रॉयल्टी की वसूली निर्धारित दरों से कर सम्प्रेक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा।

विभागीय उत्तर संतोषजनक नही हैं, क्योकि अधिसूचना संख्या 211 में यह आदेश जारी किया गया कि दिनांक 26/2/2016 से रू0 194.50 से एवं 19.05.2016 से 154.00 की दर से रॉयल्टी की कटौती की जायेगी। अर्थात जब शासन के आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था तो अवर अभियन्ता द्वारा बिल बनाते समय निर्धारित दरों से कटौती कर संविदाकार को भुगतान क्यों नही किया गया था। यदि विभाग के द्वारा लापरवाही ना की गयी होती तो शासन को हो चुकी राजस्व की क्षति की वसूली पूर्व में ही देयकों से कर ली गयी होती, जिससे शासन को वंचित रहना पडा।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-3 : 12.50 लाख की एलडी की वसूली न कए जाना।

Clause 4.5 If the whole work upto the forth milestone is not completed within the scheduled of rescheduled time, all the withheld amount of 10% shall be recovered from the contractor.

गुमखाल-द्वारिखल-चेलुसेण मोटर मार्ग के पक्कीकरण एवं डामरीकरण के कार्य की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 5862/111(2)/14-25(प्रा.आ.)/2014 दिनांक 20.10.2014 द्वारा 4 कमी. लम्बाई हेतु 130.63 लाख की प्राप्त हुई। इसकी प्रा व धक स्वीकृति अधीक्षण अ भयन्ता के पत्रांक 466/935/यातायात-12/2014 दिनांक 25-2-2015 द्वारा दी गई। इस कार्य को पूर्ण करने हेतु 2 अनुबंध (52/EE व 02/एसई-12/15) गठित कए गए। जिस पर अब तक कलु 1.15 करोड़ (अनुबंध संख्या 02/SE में 56.17 लाख + अनुबंध संख्या 52/EE में 58.94 लाख) व्यय कए जा चुके है।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, लेन्सडौन, पौड़ी के अ भलेखों की जांच में पाया गया क इस कार्य को पूर्ण करने हेतु 2 अनुबंध (52/EE व 02/एसई-12/15) गठित कए गए। उक्त अनुबंध के अनुसार कार्य समाप्ति की ति थ 08/2015 व 06/2015 थी। आगे लेखापरीक्षा में पाया गया क तीन वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी कार्य अभी तक (जनवरी 2018) अपूर्ण थे व उक्त वलम्ब के लए ठेकेदारों के देयकों से कोई भी कटौती नहीं की गयी थी जो क अनुबंध संख्या 52/EE के लए 625012/- व 2/SE के लए 625262/- बनाता है।

इकाई ने अपने उत्तर मे बताया क उक्त कटौती की गयी है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं हैं क्यों क इकाई द्वारा कोई भी साक्ष्य लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं कया व साथ ही ठेकेदारों के देयकों में भी उक्त कटौती का कोई भी उल्लेख नहीं है। अतः 12.50 लाख की एलडी की वसूली न कए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1 : 43,110 का अनिय मत भुगतान।

वत्तीय नियमों के अनुसार कोई भी व्यय या भुगतान से पूर्व उसकी स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए।

फतेहपुर-डेरियाखाल-लेन्सडौन मोटर मार्ग को पेवर द्वारा पी.सी. से नवीनीकरण की स्वीकृति 229/01 याता (नवीनीकरण)-पौडी/2016 दिनांक 29.02.2016 व 1232/01 याता (नवीनीकरण)-पौड़ी/2016 दिनांक 25.05.2016 द्वारा प्राप्त थी। उक्त कार्य के निष्पादन हेतु अनुबंध संख्या 13/SE -13/15 गठित कया गया। अ भलेखों की जांच में पाया क 43,110 का वचलन की स्वीकृति की स्वीकृति मात्र अधीक्षण अ भयन्ता स्तर तक की है। जब क अधीक्षण अ भयन्ता ने उक्त स्वीकृति मुख्य अ भयन्ता स्तर पर प्रे षत करने की संस्तुति की थी। उक्त वचलन का भुगतान भी ठेकेदार को कया जा चुका है।

उक्त प्रकरण प्रकाश में लाने पर इकाई ने कोई भी उत्तर लेखापरीक्षा को नहीं दिया।

बिना स्वीकृति के 43,110 के भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2 - रु 1.15 करोड़ का अदयोंमानक कार्य।

गुमखाल-द्वरिखल-चेलुसेण मोटर मार्ग के पक्कीकरण एवं डामरीकरण के कार्य की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 5862/111(2)/14-25(प्रा॰आ॰)/2014 दिनांक 20.10.2014 द्वारा 4 कमी लंबाई हेतु रु 130.63 लाख की प्राप्ति हुई। इसकी प्रा व धक स्वीकृति अधीक्षण अ भयंता के पत्रांक 466/935/ यातायात-12/2014 दिनांक 25-02-2015 द्वारा दी गयी। इस कार्य को पूर्ण करने हेतु 2 अनुबंध (52/EE व 02/SE-12/15) गठित कए गए। जिस पर अब तक कुल रु 1.15 करोड़ (अनुबंध संख्या 02/SE में रु 56.17 + अनुबंध संख्या 52/EE 58.94) व्यय कए जा चुके है।

कार्यालय अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण वभाग, लेंसडाउन, पौड़ी के अ भलेखो की जांच में पाया गया क प्रा व धक स्वीकृति के bill of Quantity के item no. 9 (providing and laying seal coat by manual means, sealing coat.....using Type A as per ...) Type A की स्वीकृति की गयी थी जब क दोनों अनुबंध बनाते समय उक्त Type A को बदल कर Type B कर दिया गया व उसके अनुसार ही कार्य कराये गए। उक्त सामग्री के परिवर्तन की स्वीकृति अभी तक (फरवरी 2018) प्राप्त नहीं की गयी थी। इस प्रकार मार्ग पर कराये गए पूर्ण अदयोमानक रहे।

इकाई ने अपने उत्तर में भ वष्य में पुनरावृ त्त न होने का आश्वाशन दिया है।

अतः 1.15 करोड़ का अधोमानक कार्य का प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग-दो 'अ'	भाग-दो 'ब'
1.	46/2002-03	1,2,3,4	-
2.	15/2005-06	1,2	1,2,3,4,5
3.	43/2006-07	1,2	
4.	33/2007-08	1,2,3,4,5	1,2,3
5.	04/2009-10	1,2	
6.	29/2011-12	1	2
7.	02/2013-14	1,2,3	1
8.	68/2015-16	1	1
9.	63/2016-17	1	1,2

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			वभाग/खण्ड द्वारा उपरोक्त व र्णत प्रस्तरों के संबंध में बताया गया क उक्त के निस्तारण हेतु दिनांक 22.02.18 को ऑ डट कमेटी मटिंग में म.ले. कार्यालय को अनुपालन आख्या उपलब्ध करा दी गई है अतः प्रस्तर यथावत रखा जा सकता है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------शून्य------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खण्ड, लो0 नि0 व0, लेन्सडाउन, पौड़ी के अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

   (i) माप पुस्तिका सं. - 305L / 233L/ 316L/ 328L/ 292L / 311L / 304L / 300L / 273L / 313L / 331L / 332L एवं 333(S)

2. सतत् अनिय मतताएः

   (i) शून्य

3. वगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री दिनेश वजल्वाण	अ धशासी अ भयंता
(ii)	श्री आशुतोष कुमार	अ धशासी अ भयंता

   लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खण्ड, लो0 नि0 व0, लेन्सडाउन, पौड़ी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/ आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जाए।

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

   (i) सर्व श्री डी एस चौहान, (ii) बलदेव राम, (iii) संदीप संह,
   (iv) पी एस राणा (v) अं कत गंगवार

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/आ र्थक क्षेत्र -2